

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.)

०७७६३-२२०३६२ E-mail:- deo-jashpur@cg.gov.in rmsa.jashpur@gmail.com

-:: आदेश ::-

क्रमांक/ ५९१८ /शिक्षा स्था.०२/सलंगनीकरण/२०२३-२४

जशपुर, दिनांक : २०-७-२०२३

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर एवं सर्व विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय जिला-जशपुर के विभिन्न आदेशों द्वारा अध्यापन व्यवस्था के तहत शिक्षकों को अध्यापन व्यवस्था के तहत शिक्षकों को अध्यापन कार्य हेतु आदेशित किया गया था। छ.ग. शासन, रकूल शिक्षा विभाग द्वारा सलंगनीकरण समाप्त किये जाने हेतु निर्देशित किये जाने के फलस्वरूप अध्यापन व्यवस्था हेतु जारी समस्त आदेश एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है तथा ऐसे समस्त शिक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने मूल पदस्थापना संस्था में कार्यभार ग्रहण करें।

यह आदेश एकल शिक्षकीय/ शिक्षक विहीन संस्था के लिये लागू नहीं होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ ५९१९ /शिक्षा स्था.०२/सलंगनीकरण/२०२३-२४

जशपुर, दिनांक : २०-७-२०२३

प्रतिलिपि :-

- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- कलेक्टर, जिला-जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- सर्व संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसे शिक्षक जो अन्य शाला/कार्यालय में संलग्न हैं उनको तत्काल मूल पदस्थापना संस्था हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सर्व संबंधित प्राचार्य, शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी रकूल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/कु..... विकासखण्ड .....
- जिला-जशपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आदेश पालनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला-जशपुर (छ.ग.)